लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1954

29 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कौशल विकास

1954. श्री अरूण सावः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हथकरघा/हस्तशिल्प उद्योग सहित वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा/हस्तशिल्प के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और चम्पा, कोरबा, रामगढ़ और बिलासपुर जिलों में कौशल विकास के लिए पहल की है;

(घ) यदि हां, तो कौशल विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित प्रशिक्षित और कौशल प्राप्त लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): हथकरघा/हस्तशिल्प उद्योग सहित वस्त्र उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन में निवेश और बाजार संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई कुछ प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार हैं:

i. **वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज**: अपैरल और मेड-अप क्षेत्र में रोजगार और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जून, 2016 में 6000 करोड़ रुपए का पैकेज शुरू किया गया था। इस पैकेज में परिधान और मेड-अप्स के लिए राज्य लेवियों की छूट, परिधान के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन और रोजगार संबद्ध 10% की सब्सिडी, ईपीएफ के लिए नियोक्ता के समग्र 12% अंशदान के लिए सहायता; परिधान में निर्धारित अवधि का रोजगार, ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाना तथा परिधान क्षेत्र के लिए 80जेजेएए के अंतर्गत आयकर में छूट शामिल है।

ii. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** संशोधित योजना 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना को लगभग 95,000 करोड़ रुपए का नया निवेश प्राप्त करने और वर्ष 2022 तक 35 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए बनाया गया है।

iii. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** यह योजना वस्त्र विनिर्माण के नए कलस्टरों को विकसित करने में निजी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से

क्रियान्वित की गई है। भारत सरकार अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर परियोजना लागत के 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iv. **पावर टेक्स इंडिया:** व्यापक विद्युतकरघा क्षेत्र योजना तीन वर्ष के लिए 487 करोड़ रुपए के परिव्यय से अप्रैल, 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना में करघा उन्नयन, अवसंरचना निर्माण और ऋण के लिए आसान पहुंच से संबंधित संघटक हैं। इस योजना को विद्युतकरघा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इससे विद्युतकरघा इकाइयों को अधिक लाभ भी होगा।

v. **समर्थ - वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना**: परंपरागत क्षेत्रों में एक लाख व्यक्तियों सहित वस्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च, 2020 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए हाल ही में दिसंबर, 2017 में 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

vi. **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)**: वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का संवर्धन करना। इस योजना में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल 500 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम में प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर औद्योगिक परिधान मशीनरी से पूर्णतया सुसज्जित अपैरल एवं परिधान निर्माण केंद्रों (फैक्ट्रियों) की स्थापना की गई है। प्रत्येक केंद्र को 1200 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने हेतु डिजाइन किया गया है। रेशम उत्पादन के अंतर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मलबरी, एरी तथा मूगा क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 38 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जो भारत सरकार की 955.07 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी के साथ कुल लागत 1106.97 करोड़ रुपए है।

vii. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को प्रोत्साहित तथा उनका विकास करने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हथकरघा क्षेत्र, जो एक असंगठित क्षेत्र है, को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बनुकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस), व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना और बेसिक इनपुट के लिए यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) करघे और उपस्कर, डिजाइन विकास, अवसंरचना विकास, हथकरघा उत्पादों का विपणन आदि के अंतर्गत विकासात्मक सहायता प्रदान की जाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, सरकार देश में हस्तशिल्प कलस्टरों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और डिजाइन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना विकास, अनुसंधान एवं विकास, बाजार सहायता आदि क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकीकृत अप्रोच के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कलस्टरों का सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रणनीतिक पहलों में नए उन्नत करघों और टूल किटों के लिए वित्तीय सहायता, डिजाइन

विकास प्रशिक्षण, बुनकरों और कारीगरों के लिए अनुकूल मुद्रा ऋण के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए आसान पहुंच तथा एक्सपो, मेला, क्रेता-विक्रेता बैठक और ई-वाणिज्य के माध्यम से बुनकरों और कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन सहायता शामिल हैं।

viii. **दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), वाराणसी**: विश्व को वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों के बुनकरों और कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करने तथा वाराणसी की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक व्यापार केंद्र और शिल्प संग्रहालय - दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना वाराणसी में की गई है।

ix. **सिल्क समग्र**: भारत सरकार देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए 'सिल्क समग्र' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जो मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा आई.टी. पहलों, बीज संगठनों को सहायता, समन्वय एवं बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात ब्रांड संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर फोकस करती है। ऊन, कयर, कपास जैसे अन्य फाइबरों के साथ रेशम को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग वाले नए उत्पादों का विकास करने के लिए आरएंडडी प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

x. **जूट आईकेयर**: सावधानी पूर्वक डिजाइन की गईं पहलों के माध्यम से कच्ची पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वर्ष 2015 में जूट-आईकेयर (परिष्कृत खेती तथा उन्नत रैटिंग प्रक्रिया) नामक एक परियोजना की शुरूआत की गई थी।

xi. **पटसन पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987:** नियमों के अनुसार पटसन बोरों में खाद्यान्न की पैकिंग हेतु 100% तथा चीनी की पैकिंग के लिए 20% आरक्षण निर्धारित किया गया है।

xii. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी):** ऊन का उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ऊन उत्पादक से लेकर इसके अंतिम उपभोक्ता तक ऊन क्षेत्र की समग्र श्रृंखला को सहायता प्रदान करने के लिए ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकरण और तर्कसंगतीकरण के पश्चात वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आईडब्ल्यूडीपी को अनुमोदित किया है।

xiii. **बाजार पहुंच पहल (एमएआई):** इस योजना का उद्देश्य सतत आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह योजना बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण के माध्यम से विशेष बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए उत्पाद केंद्रित देश के दृष्टिकोण पर तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप पात्र है:

- विदेश में विपणन परियोजनाएं
- क्षमता निर्माण
- सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता
- अध्ययन
- परियोजना विकास
- विदेश व्यापार सुविधा वेब पोर्टल विकसित करना
- कॉटेज और हस्तशिल्प इकाइयों को सहायता

xiv. **टेक्सटाइल इंडिया 2017:** वस्त्र मंत्रालय ने 30 जून से 2 जुलाई, 2017 के दौरान गांधीनगर, गुजरात में टेक्सटाइल्स इंडिया 2017 नामक एक 3 दिवसीय मेगाटेक्सटाइल्स प्रदर्शनी का आयोजन किया था। उपर्युक्त बड़े कार्यक्रम के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के सभी सेगमेंट को एक व्यापक कारोबारी कार्यक्रम के अंतर्गत लाना था और विश्व के समक्ष भारतीय वस्त्र क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करना था। इस कार्यक्रम में 105 देशों से खरीदारों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों और प्रतिनिधियों तथा कारीगरों एवं बुनकरों ने भाग लिया।

(ग) और (घ): मंत्रालय वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना को अखिल भारत के आधार पर क्रियान्वित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 11.14 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें से 8.43 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था।

वस्त्र उद्योग में कौशल में अंतर को पाटने के लिए मंत्रालय के प्रयास को जारी रखने हेतु सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला के लिए 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना' (एससीबीटीएस) नामक एक नई योजना अनुमोदित किया है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन करने तथा परंपरागत क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन की व्यवस्था करने के लिए उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए मांग आधारित, नौकरी उन्मुख राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले कौशल कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 10.00 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

भारत सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के चम्पा, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले सहित देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)/व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कलस्टर योजना क्रियान्ति कर रही है जिसके अंतर्गत विविंग, डिजाइनिंग, डाइंग एवं प्रिंटिंग, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी विधाओं में हथकरघा बुनकर को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने एचआरडी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चम्पा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जिले सहित हस्तशिल्प के क्षेत्र में कौशल के विकास के लिए कई पहले भी की है जिनका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और कुशल बनाए गए व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षित और कुशल बनाए गए व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	2016-2017			2017-2018			2018-19			2019-20		
	प्रशिक्षित	आकलित	तैनात	प्रशिक्षित	आकलित	तैनात	प्रशिक्षित	आकलित	तैनात	प्रशिक्षित	आकलित	तैनात
छत्तीसगढ़	4,417	4,525	2,778	296	309	869	0	0	0	0	0	0

छत्तीसगढ राज्य में पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और कुशल बनाए गए बुनकरों का विवरण

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.10.2019 तक)
छत्तीसगढ़	1380	120	120	0

वर्ष 2016-17 से 2018-19 और चालू वर्ष 2019-20 के दौरान एचआरडी योजना के अंतर्गत लाभांवित कारीगरों का विवरण

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (22.11.2019 की स्थिति के अनुसार)
छत्तीसगढ़	180	0	60	80

वर्ष 2016-17 से 2018-19 एवं 2019-20 (अक्तूबर,2019 तक) के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अक्तूबर-2019 तक)
छत्तीसगढ़	704	357	764	514

अनुबंध

दिनांक 29.11.2019 के अत.प्रश्न संख्या 1954 के भाग ग एवं घ के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2015-16 के दौरान घटक एवं राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य	घटक	कार्यक्रम की संख्या	लाभांवित कारीगर	वित्तीय बाध्यता (लाख रुपए में)	स्थान
1	छत्तीसगढ़	हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	20	2.71	कोंडागांव, छत्तीसगढ़
		जीएसपी	4	60	14.54	
		कुल	5	80	17.25	
वर्ष 2016-17 के दौरान घटक एवं राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य	घटक	कार्यक्रम की संख्या	लाभांवित कारीगर	वित्तीय बाध्यता (लाख रुपए में)	स्थान
1	छत्तीसगढ़	हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	20	2.71	कोंडागांव, छत्तीसगढ़
		जीएसपी	4	60	14.54	
		कुल	5	80	17.25	
वर्ष 2017-18 के दौरान घटक एवं राज्य-वार विवरण – शून्य						

वर्ष 2018-19 के दौरान घटक एवं राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य	घटक	कार्यक्रम की संख्या	लाभांवित कारीगर	वित्तीय बाध्यता (लाख रुपए में)	स्थान
1	छत्तीसगढ़	हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	60	8.94	कोंडागांव, छत्तीसगढ़
		कुल	3	60	8.94	
वर्ष 2019-20 (22.11.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान घटक एवं राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य	घटक	कार्यक्रम की संख्या	लाभांवित कारीगर	वित्तीय बाध्यता (लाख रुपए में)	स्थान
1	छत्तीसगढ़	हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	80	22.5	सरगुजा, बस्तर,दुर्ग, बिलासपुर
		कुल	4	80	22.5	
	कुल योग		**17**	**300**	**65.94**	

****